समादेष्टा का कार्यालय, अ”वारोही सैन्य पुलिस, बिहार, आरा।
सैडलरी के सामानों का विज्ञापन सूचना–1/2017–18

वित्तीय वर्श 2017–18 में बिहार अ” वारोही सैन्य पुलिस, आरा के अ” वों के लिए सैडलरी के सामानों की आपूर्ति नीचे अंकित मात्रा में करने हेतु मुहरबंद निविदा मुहरबंद नमूने के साथ आमंत्रित किये जाते है । ये निविदा दिनांक–23.10.2017 को प्रातः 11:30 बजे तक पुलिस उप–महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस (के0मं0) पटना के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा।

क0	सामानो का नाम	अदद
01	जीन सवार का कम्पलीट	100 पीस
02	जीन कंबल	100 पीस
03	स्पोर्टस जीन कम्पलीट	20 पीस
04	स्पोर्टस पूंजी कम्पलीट	20 पीस
05	चमड़े का रिकाव दिवाल	40 पेयर
06	संरबन्द लैलून का	80 पीस
07	पूंजी सवार का कम्पलीट	100 पीस
08	कजई लोहे का	60 पीस
09	ऑफिसर जीन	08 पीस
10	ऑफिसर पूंजी	08 पीस
11	रंनिग मार्टिगल	20 पीस
12	खरहरा	100पीस
13	दाना तोवड़ा	109पीस
14	ब्रश	100पीस
15	जीन का छीप	100पीस
16	चमड़े का बालातंग	60 पीस
17	स्पोर्टस गेटिस	19 पेयर
18	लोहे का सुमखोदनी	60 पीस
19	सवारपट्टी	85 पेयर
20	नेवार का रास	25 पीस
21	लैलून का रिकाव दिवाल डबल सिलाई के साथ	40 पेयर
22	कौस नोजबैण्ड	20 पीस
23	सैडल क्लौथ स्पोर्टस का	20 पीस
24	बैण्डेज अश्व का	25 पेयर
25	कॉटा स्टील का	12 पेयर
26	लांस 8 फीट लंबा	20 पीस
27	हैलोमाउथ	02 पीस
28	डाक्टर बिस्टल दो कड़ी का	02 पीस
29	वेल्हम ज्वांईट थम्भ	02 पीस
30	ट्रेंनिंग स्टीक	10 पीस
31	अस्तबल पर्दा	90 पीस

32	अश्वों का झुल	90 पीस
33	नायलन का नोकता	120 पीस
34	किरमीच बाल्टी	70 पीस
35	लंजिंग रास	55 पीस
36	नालबन्दी किट	4 सेट

1. निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी भाग में निम्न लिखित कागजात स्वअभिप्रमाणित समर्पित करेगें।
   - A. पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।
   - B. वित्तीय वर्ष 2014—15, 2015—16, 2016—17 का ऑनलाईन आयकर जमा की छाया प्रति।
   - C. वित्तीय वर्ष 2016—17 तक का CST, इन्टी टैक्स एवं वाणिज्य कर के रसीद की छाया प्रति।
   - D. जी0एस0टी0 का निबंधन की छाया प्रति।
   - E. फर्म के द्वारा फोटो युक्त प्रति शपथ पत्र समर्पित करेगें कि उनका फर्म किसी काली सूची में दर्ज नहीं है एवं निविदा में सभी शर्ते कंडिका 1 से 21 तक मान्य है।
   - F. अद्यतन आवासीय प्रमाण—पत्र एवं अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र।
   - G. तीन वितीय वर्ष का बैलेस शीट एवं टर्न ओभर चार्टर एकाउन्टेंट से सत्यापित किया हुआ।
2. निविदा तकनिकी एवं वित्तीय दो भाग में अलग—अलग लिफाफे में ली जाएगी। तकनीकी भाग में निविदा की योग्यता से संबंधित अभिलेख होंगे। वित्तीय भाग में दर का विवरण होगा। क्रमांक 1 से 36 तक मदों की वित्तीय निविदा अलग—अलग लिफाफे में डाली जाय अन्यथा निविदादाता की निविदा रद्द कर दी जायेगी। लिफाफे के उपर क्रमांक संख्या एवं मद का नाम भी लिखा जायेगा। केवल उन्हीं निविदाओं के वित्तीय भाग को खोला जायेगा जो निर्धारित तकनीकि आहर्ता पूर्ण करेगें।
3. प्राप्त निविदाएँ उसी दिन 12:30 बजे पुलिस उप—महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस (के0मं0) पटना के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। उस अवसर पर निविदादाता को उपस्थित रहना आव" यक है।
4. सैडलरी के सामनो की अलग—अलग निविदा मुल्य दर तथा नमूना समर्पित करें।
5. प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए यह आव" यक होगा कि उनके द्वारा एक मद हेतु मात्र एक ही दर सभी कर सहित अंकित फार्म के पैड पर कम्पयूटर द्वारा अंकित किया जाय।
6. जिन निविदादाताओं की निविदा खुलने के समय निविदा मुल्य के रुप में बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं रहेगा या वांछित रा" ा से कम रहेगा उसके निविदा को तत्क्षण अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं होगो ।
7. निविदा के साथ अग्रधन की रा" ा 100000/— (एक लाख)रु0 एन0 एस0 सी0/पोस्टल सेविंग पासबुक/बैंक ड्राफ्ट के रुप मे समादेश्टा, अ" वारोही सैन्य पुलिस आरा के नाम से वंधित होना आव" यक है और उसे निविदा के साथ ही जमा करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी पूर्व का जमा अग्रधन/प्रतिभूतिधन इस निविदा के अग्रधन के रुप में समायोजित नहीं किया जायेगा।

8. अनुमोदन के बाद कुल आपूर्ति रा" ा का दस प्रति" ात रा" ा जमा करना होगा तभी फर्म को आपूर्ति आदे" ा निर्गत किया जायेगा साथ–साथ अनुमोदन के बाद आपूर्ति क्रयादे" ा निर्गत के पूर्व एकरारनामें पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। अग्रधन की रा" ा निविदा के बाद प्रतिभुति धन प्राप्ति के बाद वापस कर दी जायेगी।

9. अग्रधन के रुप में 5 वर्श का बचत प्रमाण पत्र / बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा जो फर्म के नाम पर होना चाहिए। निविदा में सभी कर सहित एफ0ओ0 आर0 डेस्टीने" ान, अ" वारोही सैन्य पुलिस आरा अंकित किया जाना चाहिए।

10. सरकार द्वारा निबंधित फर्म ही निविदा समर्पित करने के हकदार होंगे अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. सभी सामानों की आपूर्ति अ" वों के बल के आव" यकतानुसार स्वीकार की जायेगी। सामानो की मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार समादेश्टा एम0 एम0 पी0, आरा के अधिकार क्षेत्र में होगा।

12. न्युनतम दर पर आपूर्ति आदे" ा दो या दो से अधिक फर्मो को देने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।

13. न्युनतम दर से नीचे का दर लाने के लिए निगो" ाये" ान करने का अधिकार समिति को सुरक्षित रहेगा।

14. पुलिस उप–महानिरीक्षक सैन्य पुलिस (के0मं0) पटना को एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सर्वथा सुरक्षित रहेगा।

15. सैडलरी के सामानो की आपूर्ति आदे" ा प्राप्ति के उपरान्त आरा मुख्यालय में करनी होगी। आपूर्ति किये गये सैडलरी के सामानों का गुणवक्ता की जॉच समिति द्वारा की जायेगी।

16. आपूर्तिकर्ता को सैडलरी के सामानों को निविदित दर पर प्रस्तावित सभी सामग्री आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति नही करने पर जमा किया हुआ अग्रधन राज्यसत कर राज्य कोश में जमा किया जायेगा। फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

17. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री उच्च कोटि की होनी चाहिए।

18. यदि आपूर्तिकर्ता निविदा भार्त के किसी भी कंडिका के उल्लंघन अथवा आदे" ात सामनों की आपूर्ति निर्धारित समय एवं मात्रा में नहीं करते है अथवा घटिया गुणवक्ता एवं निम्न कोटि की सामग्री की आपूर्ति करते है तो समादेश्टा को यह अधिकार होगा कि वे आपूर्तिकर्ता के संविदा को रदद कर दे तथा जमानत की रा" ा राज्यसत कर लें। ऐसी स्थिति में समादेश्टा को यह अधिकार होगा कि वे प्रथम सफल निविदाकर्ता के दर निगोसिए" ान कर दुसरे निविदाकर्ता से सामग्रियों की आपूर्ति लें।

19. आपूर्तिकर्ता को आदे" ात सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय एवं मात्रा में नियमित रुप से करनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते है तो निविदा की भार्तो के अनुसार कारवाई की जायेगी।

20. यदि आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवक्ता में कमी पायी जाती है तो सामग्री को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

21. सफल निविदाकर्ता को अपना साफ–साफ पुरा पत्राचार का पता एवं मोबाईल नं0 समादेश्टा, एम0एम0पी0, आरा कार्यालय को देना होगा तथा इस पते पर किया गया पत्राचार निविदाकर्ता को मान्य होगा।

22. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होने निविदा (कंडिका 01 से 21 तक) से सभी भार्तो को पढ़/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी भार्तो को स्वीकार करते है।

(पुश्कर आनन्द)
समादेश्टा,
अ" वारोही सैन्य पुलिस,
आरा।

निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक–08.10.2017 को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक–7668 दिनांक–07.10.2017 द्वारा निर्गमादेश।

DAINIK JAGRAN, PATNA
PRABHAT KHABAR, PATNA